न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 56/10 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामेश्वर पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:----- अपीलांट

बनाम

उनवान :–

1. दयाराम
2. लालाराम पुत्रान दीपचन्द
3. श्रवण बेवा दीपचन्द
4. गिन्दोडी पुत्री दीपचन्द
5. चन्दगी पुत्र सुल्तान
6. घीसी बेवा राजे उर्फ राजाराम
7. मंजी
8. ध्यानचन्द पुत्रान राजे उर्फ राजाराम
9. सुशीला बेवा अजीत पुत्रवधु राजे उर्फ राजाराम
10. दानी पुत्री सुल्तान
11. मु0 केसर बेवा सोहनलाल उर्फ सोनिया (फौत)
12. माया
13. प्रेम

भू–प्रबन्ध अधि... एवं पदेन
राजस्व अ... अलवर

Scanned by CamScanner

14. सुशीला

15. कृष्णा पुत्रियान सोहनलाल उर्फ सोनिया जाति सभी जाट निवासीयान ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:------ असल रेस्पो0

16. मु0 बसन्ती बेवा चेतराम

17. धर्मचन्द पुत्र चेतराम

18. दयाराम पुत्र चेतराम (फौत)

18/1. सुनील

18/2. राजकुमार पुत्रान दयाराम

19. रामसिंह पुत्र चेतराम

20. कौशल्या पत्नी हरद्वारी पुत्र चेतराम

21. विक्रम पुत्र हरद्वारी पुत्र चेतराम (लाऔलाद फौत)

22. सुशीला

23. सुनीता पुत्रियान हरद्वारी पुत्र चेतराम

24. सारली बेवा रामस्वरूप

25. कृष्णकुमार

26. राजेन्द्र पुत्रान रामस्वरूप

27. रामसिंह

28. हरीसिंह पुत्रान कान्हाराम

जाति सभी जाट निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर (अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व ... अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

29. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

30. तहसीलदार मुण्डावर

31. फूलमती

32. सरती

33. सन्तरा पुत्रियान् चेतराम

जाति जाट निवासीयान ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर

:--- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,मुण्डावर

दिनांक 31.5.2006

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री गोविन्द राम यादव

2. वकील रेस्पो0 :- श्री अंकर यादव

निर्णय दिनांक 27/8/19

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 179/2002 में पारित निर्णय दिनांक 31.5.2006 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा तथा 507 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर जिसके हाल खसरा नम्बर 1116 रकबा 1 बीघा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अ... अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

16 बिस्वा में से 1 बीघा, 1117 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा समस्त, 1111 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा में 02 बिस्वा वाके ग्राम सोडावा तहसील मुण्डावर है, जो विवादित है । साबिक खसरा नम्बर 506 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 ला0 8 के बुजुर्ग चेतराम पुत्र मंगतूराम की खातेदारी की थी । उसने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 9.5.1972 को 1/2 भाग का वादी संख्या 1 ला0 4 के मृतक पिता/पति दीपचन्द को, 1/4 भाग का वादी संख्या 5 ला0 7 के मृतक पिता सुल्तान को, 1/4 भाग का वादी संख्या 8 ला0 12 के मृतक पति/पिता सोहनलाल उर्फ सोनिया को बेचान कर दिया और केतागण को कब्जा दे दिया । साबिक जमाबन्दी सम्वत 2021 ला0 2024 में इनके नाम का अंमल हो रहा है ।साबिक खसरा नम्बर 507 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा हाल खउसरा नम्बर 1110 में मिल गया है । जो वादीगण के नाम आ रहा है । शेष रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से 2 बिस्वा रकबा हाल नम्बर 1111 में मिल गया है तथा 1 बीघा 12 बिस्वा रकबा हाल नम्बर 1117 में मिलाया गया है । साबिक खसरा नम्बर 506 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से एक बीघा हाल नम्बर 1116 में एवं 1 बीघा 12 बिस्वा रकबा हाल नम्बर 1117 में मिलाया गया है । जो आराजी वादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की है । प्रतिवादीगण ने चालाकी से सम्वत 2029 में आराजी अपने नाम करा ली । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 111 में से 0.03 हेक्टेयर भूमि से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है । यह भूमि मेरें बुजुर्गानी खातेदारी की भूमि है । अब रेस्पो0 दयाराम पुत्र दीपचन्द ने मेरे पक्ष में राजीनामा लिखकर उक्त आराजी मेरे नाम करने का निवेदन किया है ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 दयाराम पुत्र दीपचन्द ने निवेदन किया कि अगर मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर ली जाती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व ... अलवर

Scanned by CamScanner

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीनामा पर गौर किया । चूंकि उक्त राजीनामा पक्षकारों की आपसी सहमति से उनके हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत किया गया है तथा किसी कानून से भी बाधित होना प्रतीत नहीं होता है । लिहाजा अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.5.2006 आराजी हाल खसरा नम्बर 1111 रकबा 40 एयर में से 0.03 वाके ग्राम सोडोंवास तहसील मुण्डावर की हद तक निरस्त किये जाते हैं, शेष आदेश यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 56/10 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामेश्वर पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:----- अपीलांट

बनाम

उनवान :– 1. दयाराम वगैरा

निवासीयान ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:------ असल रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,मुण्डावर

दिनांक 31.5.2006

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री गोविन्द राम यादव

2. वकील रेस्पो0 :– श्री अंकर यादव

पर्चा डिक्री दिनांक 27/8/19

अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.5.2006 आराजी हाल खसरा नम्बर 1111 रकबा 40 एयर में से 0.03 वाके ग्राम साडोवास तहसील मुण्डावर की हद तक निरस्त किये जाते हैं, शेष आदेश यथावत रखे जाते हैं ।

(संजू शर्मा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner